BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

APPEAL NO. 1 OF 2025

IN THE MATTER OF:

M/S. SUNSHINE RUBBER INDUSTRIES ...... APPLICANT

VERSUS

UP POLLUTION CONTROL BOAR & ORS. .....RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	
2	**Annexure-1** True copy of the letter dated 03.01.1991.	
3	**Annexure-2** True copy of the letter dated 08.12.2020.	
4	**Annexure-3** True copy of the letter dated 21.12.2020.	
5	**Annexure-4** True copy of the letter dated 13.08.2024.	
6	**Annexure-5** True copy of the said letter dated 04.10.2024.	
7	**Annexure-6** True copy of the letter on dated 26.11.2024 and	

	dated 26.11.2024.	
8	**Annexure-7** True copy of the order dated 05.12.2024 and action taken report.	

NEW DELHI
DATED: 04.03.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 01 of 2025

IN THE MATTER OF:

M/s Sunshine Rubber Industries .... Applicant

Versus

Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. .... Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.1, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Amit Mishra, aged about 44 years, S/o Shri D.P. Mishra presently posted as The Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Kanpur Nagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That vide its order dated 09.01.2025 this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) has directed the Respondents to file their reply/response.
3. That in compliance to the above direction the response of the UPPCB is as under;

   i. That UPPCB vide its letter No. 88/S-448/91/1 dated 03.01.1991 has issued a No Objection Certificate in favour of the unit in question for the production of 150 pieces/day of micro rubber sheet

by using rubber sole waste, china clay, zinc, rubber sawdust, rubber reclaim as a main raw material. A copy of the letter dated 03.01.1991 is annexed herewith and marked as **AnnexureR1/1**.

ii. That it is respectfully submitted that during inspection dated 02.12.2020 the officials of the UPPCB has found that due to improper disposal of gaseous emission containing foul smell generated by burning of leather cutting and wool cutting etc. wherefore the UPPCB vide its Letter No. H-55884/C-2/Air-1464/Kanpur Nagar dated 08.12.2020 has issued a show cause notice for issuing the closure order and regarding the imposition of Environmental Compensation (EC) at the rate of Rs 7813/- per day. A copy of the letter dated 08.12.2020 is annexed herewith and marked as **AnnexureR1/2**.

NOTARY Vijai Kumar Advocate Kanpur (U.P.) R.No. 66/70/09 GOVT. OF UTTAR PRADESH

iii. That UPPCB, Kanpur Nagar vide letter number 1009/Sunshine Rubber Indus./2020 dated 21.12.2020 was sent the report of imposition of environmental compensation of Rs 1,09,382/- (Rupees one lakh nine thousand three hundred eighty-two only) for a total of 14 days considering the violation from 02.12.2020 to 15.12.2020. A copy of the letter dated 21.12.2020 is annexed herewith and marked as **AnnexureR1/3.**

iv. That UPPCB, Lucknow vide letter number H15660/C-2/Vayu-1464/24 dated 13.08.2024 was directed the Regional Officer Kanpur Nagar to inspection of the said industry and send the report within 01 week along with clear recommendations regarding the show cause notice dated 08.12.2020. A copy of the letter dated 13.08.2024 is annexed herewith and marked as **AnnexureR1/4**.

v. It is important to mention here that in inspection carried by the officials of the UPPCB on 26.04.2024 and 03.10.2024, the unit operational activities have been carried out without having consent to operate certificate's under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and in the unit installed baby boiler was found to be operated without installing air pollution control system, due to which the problem of foul smell and air pollution was prevalent in the surrounding area and the housekeeping system in the baby boiler area was found to be extremely poor. A copy of the said letter dated 04.10.2024 is annexed herewith and marked as **AnnexureR1/5.**

vi. That the UPPCB Kanpur Nagar vide its letter no.-1041/S-250/24 dated 04.10.2024 has sent a letter for issuance of Environmental Compensation of Rs. 10,54,694.50/- notice regarding closure of the unit in question under Section-31 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.The calculation of the said environment compensation is as follows:

I. VIOLATION PERIOD:

(a) The Violation with respect of the Air Pollution in the present matter persisted for 14 days (from 02.12.2020 to 15.12.2020).

(b) That additionally, the violation was for 161 days (from inspection on 26.04.2024 to 03.10.2024).

II. BASIS OF CALCULATION:

NOTARY
Vijai Kumar
Advocate
Kanpur (U.P.)
R.No. 66/7/09
GOVT. OF UTTAR PRADESH

That the formula prescribed for calculating environmental compensation (EC) is as follow:

Total EC =Pl × N × R ×S ×LF

Pl (pollution index) =50,

N (Number of days) =1,

R (Panalty in Rs) =250,

S (Factor for Scale of operation, small) =0.5,

LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million.)

The penalty of violations per day is Rs. 7812.50/-

That on the basis of the formula the officials of the UPPCB the total environment compensation has been calculated Rs. 10,54,694.50/-

NOTARY ★ Vijai Kumar Advocate Kanpur (U.P.) R.No. 66/70/09 ★ GOVT. OF UTTAR PRADESH

vii. That UPPCB vide its letter no.- H-20139/C-2/Air-1464/Environmental Compensation/24 dated 26.11.2024 has imposed Environmental Compensation of Rs. 10,54,694.50/- and vide letter no.-H-20137/C-2/Air-1464/Closure Order/24 dated 26.11.2024 has issued a closure order against the unit.

A copy of the letter on dated 26.11.2024 and dated 26.11.2024 are annexed herewith and marked as **AnnexureR1/6.**

viii. That UPPCB Kanpur Nagar vide order no.-885/ST-2024/UPPCB-KNP dated 05.12.2024 District Magistrate Kanpur has constitute a committee under the chairmanship of the Additional City Magistrate (II^{nd}) Nagar for compliance to the closure order date 26.11.2024 issued by the UPPCB. In pursuance to the above, the committee has sealed the infrastructure of the unit and also disconnected the electricity connection on 19.12.2024.

A copy of the order dated 05.12.2024 and action taken report are collectively annexed herewith and marked as **AnnexureR1/7**.

4. That the Annexure annexed to the present accompanying Affidavit is true copy of their respective original.

5. That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Kanpur Nagar on this the 04th day of March, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
Vijai Kumar
Advocate
Kanpur (U.P.)
R.No. 06(70)09
GOVT. OF UTTAR PRADESH

Certified that the Affidavit/Document was ... before me this 04.03.2025 day ...
Shri ...
the deponent to whom the contents of the affidavit/Document have been read out and explained and who is duly identified

VIJAI KUMAR (Advocate)

Annexure - R1/1

दूरभाष : 218863
Phone

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :
सी-२५, सर्वोदय नगर, कानपुर-२०८ ००५

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :
C-25, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208 005

पत्रांक सं० Ref. No. ७३/ ३ - ५५८/९१/।

दिनांक Date. 3-1 1991

To

M/s Sun Shine Rubber Industries,
61-A, 150 Ft. Road, Jajmau,
Kanpur.

SUB: N.O.C. FROM POLLUTION ANGLE.

Dear Sir,

Kindly refer your N.O.C. application and subsequent correspondence with this office for the above proposed industry. The N.O.C.(NO OBJECTION CERTIFICATE) Solely from pollution aspects is hereby issued to you to manufacture Micro Rubber sheets - 150 nos./day at plot no. 68 A, 150 ft. Road, Jajmau, Kanpur. Subject to strict compliance of following conditions:

1- The general conditions (attached as annexure - 1) as applicable to your industry shall also be observed.

2- The daily production capacity shall not exceed Micro Rubber sheets- 150 nos./day.

3- No industrial effluent shall be generated or discharged out of your industrial premises.

4- Minimum chimney height attached with the baby boiler shall be 15 meters from the ground level. The daily fuel consumption for combustion shall not exceed coal 100 kg.

5- Within the acquired site the industry must locate itself at the lowest location to remain obscured from general sight. Layout and form of the industry that may come up in the area must conform to the land scape of the area without affecting the beauty ~~to~~ of that palce.

6- The site of the industry shall be located in the approved industrial area.

7- Maximum tree plantation shall be done in open places of factory premises.

8- Proper parking places should be provided for the trucks and other vehicles by the industries to avoid an congestion or blocking of roads.

Yours faithfully,

(S. L. GOEL)
REGIONAL OFFICER.

Endt. no. /

Dated as above.

Copy to : Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.

UMA/

REGIONAL OFFICER.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No. H55884 /C-2/वायु-1464/कानपुरनगर दिनांक Date 9.12.2020

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स सनराइज रबर इण्डस्ट्रीज,
68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

यह कि उद्योग मैसर्स सनराइज रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा Micro Rubber Sheet and Sleepers - 13.125 Kg/Day के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 05.12.2020 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या दिनांक 02.12.2020 की आख्यानुसार संदर्भित उद्योग द्वारा Micro Rubber Sheet and Sleepers - 13.125 Kg/Day के उत्पादन का कार्य किया जाता है। निरीक्षण के समय इकाई में 03 नग बेबी ब्यायलर स्थापित पाया गया तथा ईंधन के रूप में लेदर कटिंग का प्रयोग किया जाना पाया गया। इकाई द्वारा लेदर कटिंग तथा रबर कटिंग आदि के जलाये जाने से जनित दुर्गन्ध युक्त गैसीय उत्सर्जन का समुचित निस्तारण न होने के कारण दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्यमी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरूद्ध निम्नानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स सनराइज रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त स्पष्ट करें कि क्यों न मैसर्स सनराइज रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर पर रू0 7813.00/- (रू0 सात हजार आठ सौ तेरह मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध रू0 7813.00/- (रू0 सात हजार आठ सौ तेरह मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

Received
Sunshine Rubber Ind.
17/12/20

......2......

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संख्या 1009/सनशाइन रबर/2030/2020 दिनांक 21/12/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उद्योग के पूर्व निरीक्षण के दौरान उद्योग में स्थापित 02 नग बेबी ब्यायलर में ईंधन में अनुमन्य ईधन के अतिरिक्त अन्य ईधन लेदर कटिंग का प्रयोग किया जाता पाये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच55884/सी–2 /वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त पत्र के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.12.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग में स्थापित ब्यायलर में ईधन के रूप में लगभग 400 किग्रा0/दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग में अनुमन्य ईधन कोयला का प्रयोग बेबी ब्यायलर में किया जाता पाया गया तथा किसी भी प्रकार का प्रतिबन्धित ईधन का प्रयोग एवं भण्डारण नहीं पाया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत उद्योग के पूर्व निरीक्षण दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 (निरीक्षण दिनांक 16.12.2020 से पूर्व तिथि तक) तक का उल्लघंन मानते हुये कुल 14 दिवस का उल्लंघन प्रथम दृष्टिया दर्शाता है।

अतः मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 08.12.2020 द्वारा निर्देश के क्रम में उद्योग के विरूद्ध रू0 **7813/–** प्रतिदिन के अनुसार कुल 14 दिवस हेतु रू0 **7813×14=1,09,382/–** (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 को सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 ए0के0 माथुर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी कानपुर नगर।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उद्योग मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या:-

उक्त सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनॉक 16.12.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री एजाज अहमद, प्रोपराइटर उपस्थित थे, निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उद्योग मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर में स्थापित/संचालित है।
2. उद्योग को MICRO RUBBER SHEET AND SLEEPERS - 13.125 Kg/Day के उत्पादन कार्य हेतु वर्ष 2023 तक सहमति प्राप्त है।
3. उद्योग का पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.12.2020 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इकाई में स्थापित 02 नग बेबी ब्यायलर में ईंधन में अनुमन्य ईंधन के अतिरिक्त अन्य ईंधन लेदर कटिंग का प्रयोग किया जाता पाये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच55884/सी-2/वायु-1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
4. उक्त कारण बताओं नोटिस के अनुपालन में उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन जो इस कार्यालय में दिनांक 15.12.2020 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से अवगत कराया गया कि इकाई में ईंधन के रूप में लेदर कटिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, उक्त लेदर कटिग को पूर्व में लेबर द्वारा बेबी ब्यायलर के निकट डाल दिया गया था, जिसको तत्काल हटा दिया गया है।
5. उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 16.12.2020 को किया गया।
6. निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।
7. उद्योग में कच्चे माल के रूप रबर सोल वेस्ट, चाइना क्ले, जिंक, रबर बुरादा, रबर रिकलेम व अन्य केमिकल का प्रयोग कर लगभग रबर शीट 200 शीट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
8. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन तथा ब्यायलर में फीडिंग एवं कूलिंग हेतु किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह-1.0 के0एल0डी0 का निस्तारण सैप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। कूलिग में प्रयुक्त जल को रिसाइकिल किया जाता है।
9. उद्योग में 02 नग बेबी ब्यायलर स्थापित है। बेबी ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी की ऊचाई भूतल से लगभग 40 फीट ऊची स्थापित है। ब्यायलर में ईंधन के रूप में लगभग 400 किग्रा0/दिन कोयले का प्रयोग किया जाता है।
10. उद्योग में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 01 नग डी0जी0सेट क्षमता 62.5 के0वी0ए0 का स्थापित है। डी0जी0सेट में ईंधन में रूप में एच0एस0डी0 का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है।
11. निरीक्षण के समय उद्योग में अनुमन्य ईंधन कोयला का प्रयोग बेबी ब्यायलर में किया जाता पाया गया तथा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित ईंधन का प्रयोग एवं भण्डारण नहीं पाया गया।
12. उपरोक्त के दृष्टिगत उद्योग के पूर्व निरीक्षण दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 (निरीक्षण दिनांक 16.12.2020 से पूर्व तिथि तक) तक का उल्लघंन मानते हुये कुल 14 दिवस की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 08.12.2020 द्वारा निर्देश के क्रम में उद्योग के विरूद्ध रू0 7813/- प्रतिदिन के **अनुसार कुल 14 दिवस हेतु रू0 7813×14=1,09,382/- (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र)**पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 को सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

18.12.2020
(एस0के0 अवस्थी)
अनुश्रवण सहायक

Vivek 18/12/2020
(विवेक कुमार)
अवर अभियन्ता

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय</u>

18/12/2020

Rcvd by post 70 Annexure - R1/4
16/8/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No. H/15660/सी-2/वायु-1464/24 दिनांक / Date 13-8-24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर नगर।

पंजीकृत

विषयः मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 479/सा0-250/24 दिनांक 19.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त उद्योग के औचक निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 के दौरान राज्य से सहमति (जल/वायु) आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही उद्योग संचालित पाये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 02.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अद्यतन सूचना अप्राप्त है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत उद्योग मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक **08.12.2020** जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के संबंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या एक सप्ताह के अंदर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जानां सुनिश्चित करें, जिससे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-2)

EE
16/08/24

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर नगर
REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR NAGAR

सन्दर्भ 1041/एल-250/24 दिनांक 04/10/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः-मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि सहित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित/बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-15660/सी-2/वायु-1464/24, दिनांक 13.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्वारा उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस पत्र संख्या एच-55884/सी-2/वायु-1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या चाही गयी है। तत्क्रम में उप-कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 के समय उद्योग में उत्पादनरत/संचालित पाया गया। विस्तृत आख्या सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः संलग्न आख्या में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-55884/सी-2/वायु-1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में प्रेषित आख्यानुसार दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 तक का उल्लंघन मानते हुए कुल **14 दिवसों हेतु रूपये 1,09,382/- (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ पूर्व निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 तक की अवधि (कुल 161 दिवसों) तक का रूपये 7812.50/- प्रतिदिन की दर से उल्लंघन मानते हुए (7812.50×121)=9,45,312.50/- (नौ लाख पैंतालीस हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रूपये 10,54,694.50/- मात्र (रूपये 1,09,382.00 + रूपये 9,45,312.50= **10,54,694.50/-**) की संस्तुति एवं उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस पत्रांक एच-55884/सी-2/वायु-1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक एवं दिनांक :-उपरोक्त।

प्रतिलिपिः-सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में आख्या :–

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:–

➢ कार्यालय अभिलेखानुसार निम्नांकित तथ्य क्रमशः हैं :–

अ). इकाई के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–55884 / सी–2 / वायु–1464 / कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस निर्गत है। उक्त कारण बताओ नोटिस का तामीला उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 17.12.2020 को प्राप्त करायी गयी है, तामीला प्राप्ति की छायाप्रति संलग्न है।

ब). इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के अनुक्रम में दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 तक का उल्लंघन मानते हुए कुल 14 दिवसों हेतु रूपये 1,09,382 / – (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की आख्या तत्समय प्रेषित की गयी थी।

स). दिनांक 26.04.2024 को उप–कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उद्योग के निरीक्षण में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल / वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही इकाई संचालनरत पायी गयी थी तथा इकाई में स्थापित बेबी ब्यायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित पाया गया था, जिससे आस–पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त पायी गयी तथा बेबी ब्यायलर एरिया में हाउस कीपिंग की व्यवस्था अन्यन्त खराब पायी गयी। जबकि उद्योग को ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक संख्या 60217/UPPCB/ KanpurNagar (UPPCBRO)/CTO/air/KANPURNAGAR/2019 दिनांक 24.09.2019 द्वारा Micro Rubber Sheet and Sleepers-13.125 Kg/Day के उत्पादन हेतु दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि हेतु सहमति वायु निर्गत थी।

उपर्युक्त तथ्यों के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 112 / मैसर्स सनसाइन रबर इण्ड0 / 24, दिनांक 02.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी।

द). बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–15660 / सी–2 / वायु–1464 / 24, दिनांक 13.08.2024 द्वारा उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या चाही गयी है, के तत्क्रम में दिनांक 03.10.2024 को निरीक्षण के समय इकाई में उत्पादनरत् / संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री ऐजाज अहमद, पार्टनर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय लिये गये जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स क्रमशः है :–

➢ वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आंकलन क्रमशः है :–

कृ0पृ0उ0........

(2)

(गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 7812.50/— प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (pollution index)=50, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, small)=0.5, LF (Location Factor)= 1.25 for population between 1 to 5 million.)

संस्तुति :—

क). यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच—55884/सी—2/वायु—1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में प्रेषित आख्यानुसार दिनांक 02.12.2020 से दिनांक 15.12.2020 तक का उल्लंघन मानते हुए कुल **14 दिवसों हेतु रूपये 1,09,382/— (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ पूर्व निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 तक की अवधि (कुल 161 दिवसों) तक का रूपये 7812.50/— प्रतिदिन की दर से उल्लंघन मानते हुए (7812.50×121)=9,45,312.50/— (नौ लाख पैंतालीस हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रूपये 10,54,694.50/— मात्र (रूपये 1,09,382.00 + रूपये 9,45,312.50= **10,54,694.50/—**) की संस्तुति एवं उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस पत्रांक एच—55884/सी—2/वायु—1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

04.10.24 04/10/24

(विकास यादव) (आशुतोष पाण्डेय)

जे0आर0एफ0 पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—2) महोदय,

04/10/2024

Annexure - R1/6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No. 20139/सी-2/वायु-1464/पर्या0क्षतिपूर्ति/24   दिनाँक / Date 26/11/24

पंजीकृत

Recd 10/12/24

सेवा में,

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज,
68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

विषयः मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक एच–55884/सी–2/वायु–1464/क0व0नो0/22, दिनांक 08.12.2020 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस का तामीला उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 17.12.2020 को प्राप्त कराया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन जो क्षेत्रीय कार्यालय मे दिनांक 15.12.2020 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से अवगत कराया गया कि इकाई में ईधन के रूप में लेदर कटिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, उक्त लेदर कटिंग को पूर्व में लेबर द्वारा बेबी ब्यायलर के निकट डाल दिया गया था, जिसको तत्काल हटा दिया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार उद्योग का निरीक्षण दिनाक 03.10.2024 को किया गया, निरीक्षण के समय में उत्पादनरत्/संचालित पाया गया। तथा दिनांक 26.04.2024 को उप–कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उद्योग के निरीक्षण में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही इकाई संचालनरत् पायी गयी थी एवं इकाई में स्थापित बेबी ब्यायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित पाया गया था, जिससे आस–पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त पायी गयी तथा बेबी ब्यायलर एरिया में हाउस कीपिंग की व्यवस्था अन्यन्त खराब पायी गयी। वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–55884/सी–2/वायु–1464/कानपुर नगर दिनांक 08.12.2020 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में प्रेषित आख्यानुसार दिनांक 02.12.2020 से दिनांक15.12.2020 तक का उल्लघंन मानते हुये कुल 14 दिवसों हेतु रूपये 1,09,382/– (एक लाख नौ हजार तीन सौ बयासी रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ पूर्व निरीक्षण दिनांक 26.04.2024 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 तक की अवधि (कुल 161 दिवसों) तक का रूपये 7812.50/– प्रतिदिन की दर से उल्लघंन मानते हुये (7812.50 ग 121)त्र9,45,312.50/– (नौ लाख पैंतालीस हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रूपये 10,54,694.50/– मात्र (रूपये 1,09,382.00 रूपये 9,45,312.50 त्र 10,54,694.50) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र E.C=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये रू0 7812.50/–प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 50, N (Number of days)=01, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

उपरोक्तानुसार उद्योग द्वारा किये गये उल्लंघन के दृष्टिगत उद्योग पर कुल उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार रू0 7812.50/–प्रतिदिन की दर से कुल रू0 10,54,694/–(रू0 दस लाख चौवन हजार छः सौ चौरानबे पैसे पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 04.10.2024 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर पर रू0 10,54,694.50/–(रू0 दस लाख चौवन हजार छः सौ चौरानबे पैसे पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विविरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

EE 10/12/24

S-259

..2..

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Atulsa yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No 20137/सी-2/वायु-1464/बन्दी आदेश/24 दिनॉक / Date 26-11-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज,
68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

यह कि **मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(K) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है। जिसे राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 08.12.2020 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस का तमीला उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 17.12.2020 को प्राप्त कराया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन जो क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 15.12.2020 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से अवगत कराया गया कि इकाई में ईधन के रूप में लेदर कटिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, उक्त लेदर कटिंग को पूर्व में लेबर द्वारा बेबी ब्यायलर के निकट डाल दिया गया था, जिसको तत्काल हटा दिया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार उद्योग का निरीक्षण दिनांक 03.10.2024 को किया गया, निरीक्षण के समय में उत्पादनरत्/संचालित पाया गया। तथा दिनांक 26.04.2024 को उप–कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उद्योग के निरीक्षण में राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही इकाई संचालनरत् पायी गयी थी एवं इकाई में स्थापित बेबी ब्यायलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित पाया गया था, जिससे आस–पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त पायी गयी तथा बेबी ब्यायलर एरिया में हाउस कीपिंग की व्यवस्था अत्यन्त खराब पायी गयी। वर्तमान में उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किया जा रहा है। जोकि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की यथासंशोधित के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।

अग्रेतर बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2020 के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 04.10.2024 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग को निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किये जाते हैः–

1. यह कि **मै0 सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Atulesh yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर, को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, घाटमपुर कानपुर नगर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, कानपुर नगर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
फोन : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Closure Letter Draft

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

संख्या–885/एस0टी0–2024/UPPCB-KNP दिनांक–05 दिसम्बर, 2024

आदेश

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच–20137/सी–2/वायु–1464/बन्दी आदेश/24, दिनांक 26.11.2024 द्वारा उद्योग मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना संचालित होने के दृष्टिगत् वायु (प्रदूषण निवरण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जाता है :–

क्र0सं0	समिति गठन हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
1.	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), कानपुर नगर (मो0न0 9454416402)।
2.	पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर द्वारा सम्बन्धित नामित सहायक पुलिस आयुक्त।
3.	श्री आशुतोष पाण्डेय, पर्यावरण अभियन्ता, (इंचार्ज उप–कार्यालय जाजमऊ, मो.न.–7839891887) एवं श्री विकास यादव, जे0आर0एफ0/श्री सौरभ हैरिस, जे0आर0एफ0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।
4.	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, कानपुर नगर द्वारा नामित प्रतिनिधि।
5.	अधिशाषी अभियन्ता, केस्को, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा नामित प्रतिनिधि।

उपरोक्त समिति के सदस्यों द्वारा उद्योग मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर

संख्या सम दिनांकित:–

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, कानपुर नगर।
4. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कं0 लि0, कानपुर नगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर।
6. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ ।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर

बन्दी आदेश अनुपालन सम्बन्धी कार्यवाही आख्या

मैसर्स सनसाइन रबर इण्डस्ट्रीज, 68ए, 150 फिट रोड, जनपद–कानपुर नगर को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच–20137/सी–2/वायु–1464/बन्दी आदेश/24, दिनांक 26.11.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के क्रम में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के आदेश संख्या 885/एसटी–2024/UPPCB-KNP, दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 द्वारा बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्राप्त आदेशों के अनुपालन में गठित समिति की उपस्थिति में आज दिनांक 19.12.2024 को बन्द/सील किया जाता है। सील की सुरक्षा हेतु उद्योग प्रतिनिधि के प्रति उपलब्ध की गई।

उद्योग प्रतिनिधि का नामः– एजाज अहमद (पार्टनर) 8318931684

हस्ताक्षरः– [signature]

For Sunshine Rubber Industries

पद (उद्योग की मोहर):– [signature]

Partner

दिनांकः– 19/12/2024
[signature]

सील की गई मशीनों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विवरण→

1. रोलर ~~मिक्सिंग~~ मशीन – (6) नग
2. प्रेस मशीन – (4) नग
3. बेबी ब्वायलर – (2) नग

[signature] JRF UPPCB, KNP

[signature] 19/12/24 PS-Bajmau

[signature] S.D.O. Electric.

[signature] EE 19/12/24 UPPCB

[signature] 19/12/2024 Add. S.O. DIC Kanpur Nagar

[signature] 19/12/24 ACM-II

Appeal No.1 of 2025; M/s. Sunshine Rubber Industries Vs. UPPCB

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)
To: mansichahal104@gmail.com; kapilsagar1990@gmail.com
Date: Tuesday, March 4, 2025 at 06:47 PM GMT+5:30

Madam,

Please find the attached

With Regards,

(PRADEEP MISRA)

Sunshine Reply.pdf
5.4MB